



## **The Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhiniyam, 1981**

Act 20 of 1981

**Keyword(s):**

Secretary, Service, Speaker

Amendment appended: 21 of 2018

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

डाक व्यव की पूर्व सदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्रमांक भोपाल-505 डब्ल्यू. पी.

पंची क्रमांक भोपाल डिपोडन 122 (एच. पी.)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178 ]

बोपाल, शुकवार, दिनांक 8 मई 1981--वैशाख 18, शके 1903

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 मई 1981

क्र. १०८७३-इक्कीस-अ (प्रा.), मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक १ मई, 1981 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ज. अ. खरे, उपसचिव.

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् 1981.

### मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981.

[दिनांक १ मई 1981 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण); में दिनांक 5 मई 1981 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा में भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 है. संक्षिप्त नाम.
2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.
  - (क) "सचिव" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय का सचिव;
  - (ख) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा;
  - (ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष.

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा का गठन किया जायगा जिसमें सचिव और ऐसे प्रवर्गों के तथा ऐसी संख्या में अन्य अधिकारी और कर्मचारी होंगे जैसा कि राज्यपाल, अध्यक्ष से परामर्श करके, समय-समय पर अध्यापिका सेवा का गठन करें.

भर्ती और सेवा की शर्तों का विनियमन. विनियमन के लिए नियम, अध्यक्ष से परामर्श करके बना सकेगा :

परन्तु कोई नियम, जो संविधान के अनुच्छेद 157 के खण्ड (३) के अधीन बनाया गया हो और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त है, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह इस धारा के अधीन बनाये गये नियम द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता.

अधिवार्षिकी की आयु.

३. (१) सचिव उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जायगा, और उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा में का अन्य सदस्य उस मास के, जिसमें कि वह अठ्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जायगा.

(२) सेवा में का चतुर्थ वर्ग का कोई कर्मचारी उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जायगा.

(३) अध्यक्ष, यदि वह विधान सभा सचिवालय के दक्षतापूर्ण कार्यकरण के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है, सेवा में के किसी सदस्य के सेवाकाल में अधिवार्षिकी आयु के परे, कुल मिलाकर दो वर्ष से अतिरिक्त कालावधि की वृद्धि कर सकेगा.

(४) सचिव या सेवा में नियुक्त किये गये अन्य व्यक्ति को, उसकी पचपन वर्ष की आयु हो चुकने के पश्चात् किसी भी समय, बिना कोई कारण बतलाए, उसे तीन मास की लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवा-निवृत्त किया जा सकेगा :

परन्तु सेवा निवृत्ति को, सूचना के बदले तीन मास के वेतन का भुगतान अन्तिम आहरित (लार्स्ट ड्रॉन) वेतन की दर से करके, तत्काल प्रभावशील किया जा सकेगा.

भोपाल, दिनांक ८ मई १९८१

क्र. १०८७४-इक्कीस-अ (प्रा.), भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, १९८१ (क्रमांक २२ सन् १९८१) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ज. अ. खरे, उपसचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 20 of 1981.

### THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SACHIVALAYA SEVA ADHINIYAM, 1981

[Received the assent of the Governor on the 1st May 1981; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 8th May 1981.]

An Act to regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat Service.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhiniyam, 1981.

Amendment of  
section 2.

(6 of 1982)

2. In clause (a) of section 2 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhinyam, 1981 (No. 20 of 1981), the following words shall be added at the end, namely:—

1. "and includes a Special Secretary of that Secretariat;"

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

- (a) "Secretary" means the Secretary of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat; |
- (b) "Service" means the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat Service;
- (c) "Speaker" means the Speaker of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha. ✓

3. There shall be constituted a Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat Service consisting of Secretary and such categories of other officers and employees and in such number as the Governor may, in consultation with the Speaker, from time to time, determine.

Constitution of Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat Service.

4. The Governor may, in consultation with the Speaker make rules for the regulation of recruitment and conditions of service of persons appointed to the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat Service:

Regulation of recruitment and conditions of service.

Provided that any rule made under clause (3) of Article 187 of the Constitution and in force immediately before the coming into force of this Act shall continue to be in force till repealed by a rule made under this section.

5. (1) The Secretary shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years and subject to the provisions of sub-section (3) other member of the service shall, retire on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty eight years.

Age of superannuation.

(2) A class IV employee of the service shall retire on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years.

(3) The Speaker may, if he considers it necessary so to do in the interest of the efficient working of the Vidhan Sabha Secretariat, grant extension to a member of the service beyond the age of superannuation for a total period not exceeding two years.

(4) The Secretary or other person appointed to the service may, in the public interest, be retired at any time after he attains the age of fifty five years without assigning any reason by giving him a written notice of three months:

Provided that the retirement can be made effective forthwith on payment of three months salary at the rate last drawn in lieu of the notice.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1981.

1. Added by m.p. Act. 6 of 1982

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 404]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई 2018—श्रावण 2, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2018

क्र. 12210-244-इक्कीस-अ (प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जुलाई 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०१८

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, २०१८

[ दिनांक २३ जुलाई, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ जुलाई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और  
प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ५ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, १९८१ (क्रमांक २० सन् १९८१) की धारा ५ में,—

(एक) उपधारा (१) में, दो बार आए शब्द “साठ वर्ष” के स्थान पर, शब्द “बासठ वर्ष” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए तथा उपधारा (३) तथा उपधारा (४) को क्रमशः उपधारा (२) तथा उपधारा (३) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए.

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2018

क्र. 12210-244-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 21 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

**MADHYA PRADESH ACT  
NO. 21 OF 2018**

**THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SACHIVALAYA SEVA (SANSHODHAN)  
ADHINIYAM, 2018**

[Received the assent of the Governor on the 23rd July, 2018; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 24th July, 2018.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhinyam, 1981.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

**Short title and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva (Sanshodhan) Adhinyam, 2018.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

**Amendment of Section 5.**

2. In Section 5 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhinyam, 1981 (No. 20 of 1981),—

- (i) in sub-section (1), for the words “sixty years” occurring twice, the words “sixty two years” shall be substituted;
- (ii) sub-section (2) shall be omitted and sub-section (3) and sub-section (4) shall be renumbered as sub-section (2) and sub-section (3) respectively.